

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 23 मई, 2023

विषय-नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में नवनिर्वाचित महापौरों/
पार्षदों/अध्यक्षों/सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण करने के उपरांत निकाय बोर्ड की बैठक
कराये जाने संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नगरीय निकाय निर्वाचन 2022-23
के निर्वाचन के उपरांत शासन द्वारा निकायों के गठन की अधिसूचनायें निर्गत कर शासन के
पत्र संख्या-1376/9-1-2023-331सा/2017, दिनांक 23.05.2023 द्वारा नवनिर्वाचित
जनप्रतिनिधियों को दिनांक 26 व 27 मई 2023 को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959
की धारा-85 तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-43 घ के अंतर्गत
शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निकायों के नवनिर्वाचित
जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण करने के उपरांत निकायों के खातों का संचालन के संबंध में
स्थानीय निकायों के कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निकायों के कार्यों के प्रबन्धन हेतु निर्गत
शासनादेश संख्या-4078/9-1-2022-119रिट/2011, दिनांक 04.01.2023, शासनादेश
संख्या-12/9-1-2023-119रिट/2011, दिनांक 10.01.2023, एवं शासनादेश संख्या-130/9
-1-2023-119रिट/2011, दिनांक 23.01.2023 निरस्त हो जायेंगे एवं निकायों के खातों का
संचालन उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम
1916 में दी गयी सुसंगत धाराओं में दी गयी व्यवस्थानुसार संचालित होंगे।

3. इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि निकायों में शपथ ग्रहण की
कार्यवाही सम्पन्न होने के उपरांत निकायों के गठन की अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से
01 माह के भीतर अर्थात् दिनांक 23.06.2023 तक निकायों के बोर्ड की बैठकें आयोजित
कराकर वित्तीय वर्ष 2023-2024 में निकायों में कराये जाने वाले कार्यों की कार्ययोजना तैयार
कर उस पर निकाय बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त कर कार्ययोजना शासन को प्रत्येक दशा में
दिनांक 30.06.2023 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन
सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,


(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2- सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र०, (पंचायत एवं स्थानीय निकाय) लखनऊ।
- 3- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ०प्र० (द्वारा जिलाधिकारी)।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

hm
22.5.2018